प्रपत्र – 2

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़

पत्रांक – 1005 | दिनांक – 08/07/2023

प्रबंधक,
डी0 ए0 वी0 पब्लिक स्कूल, गोकुलपुर, पाकुड़
जिला – पाकुड़, झारखण्ड, पिन कोड न0 816107.

विषय : **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महाशय,

आपके द्वारा समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर में डी0 ए0 वी0 पब्लिक स्कूल, पाकुड़ विद्यालय का नाम पत्र सहित कक्षा 1 से 8 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधिन है –

1) इस मान्यंता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नही हैं ।

2) विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधो को पूर्णरूपेण पालन करेगा ।

3) विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में बालक की संख्या – के 26 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर एवं अभिबंचित वर्ग के बच्चो को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4) उक्त कंडिका – 3 में उल्लेखित बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के तहत् प्रतिपूर्त्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा ।

5) **विद्यालय** किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नही लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।

6) विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबुत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन किया जायेगा ।

7) विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।

1. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक की विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा ।

3. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

4. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

5. अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ।

6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ता, अधिनियम 2009 कि लागू होने के समय नहीं है, पॉच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित कर लेंगें ।

7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और

8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।

9. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।

11. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है –

1. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:	9510.11 sqm
2. कुल निर्मित क्षेत्रफल	:	3615.16 sqm
3. कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	:	5851 sqm
1) बॉलीबाल –.	:	28 मी0 × 9 मी0 = 252 वर्ग मी0
2) खोखो –	:	29 मी0 × 16 मी0 = 464 वर्ग मी0
3) कबड्डी –	:	13 मी0 × 10 मी0 = 130 वर्ग मी0
4) बैडमिन्टन –	:	13.40 मी0 × 5.8 मी0 = 69.42 वर्ग मी0 कुल – 915.42 वर्ग मी0
4. कक्षाओं की संख्या –	:	37

5. प्राधानाध्यपक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष :

1. **प्राचार्य कक्ष**	–	01	(25 फीट × 20 फीट = 500 वर्ग फीट)
2. **कार्यालय कक्ष**	–	01	(20 फीट × 18 फीट = 360 वर्ग फीट)
3. **भंडारा कक्ष**	–	01	(20 फीट × 15 फीट = 300 वर्ग फीट)

6. बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध है ।
बालकों के लिए (45) एवं बालिकाओं के लिए (25) शौचालय उपलब्ध है ।

7. पेयजल सुविधा – दो बोरिंग की सुविधा उपलब्ध है। RO व्यवस्था के साथ उपलब्ध है।

8. मिड–डे–मिल लागू नहीं है ।

9. बाधारहित पहुँच पथ – उपलब्ध हैं ।

10. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकुद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता –

पुस्तकों की संख्या – 6,702

पुस्तकालय कक्ष – 45 फीट × 20 फीट = 900 वर्ग फीट

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं बुलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा ।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दुर करने के लिए जारी किए जाये ।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन DAYANAND ANGLO VEDIC COLLAGE TRUST AND MANAGEMENT SOCIETY रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रस्तुत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्या 04/2023 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी प्रत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाय।

08/07/2023

जिला शिक्षा अधीक्षक
पाकुड़ ।

08/07/2023

08/07/2023